न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 283/2023

सी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/475

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

आदम खां पुत्र नेकू खां वगैरा जाति मुसलमान निवासी इन्द्रानगर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी

:आदेश:

दिनांक 10.03.2025

यतः तहसीलदार पचपदरा ने ग्राम इन्द्रानगर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 1962 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व (गुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते है:–

ग्राम इन्द्रानगर पटवार मण्डल नवोड़ा बेरा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 1962 में से संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को राजहित में समर्पण करने की सहमति के आधार पर राजस्व(गुप्र–6)विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1) में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है:–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	05	1962	15.3780	बा.सोयम	1962	0.3885	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

10/3/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा